न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :— 21 / 2022 (2022 / 64)

निगरानीकर्ता

चैनपुरी पुत्र स्व0 राजुपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी ग्राम भटिण्डा, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

गैर निगरानीकर्तागण

1. सेठ भारती पुत्र लादू भारती, जाति स्वामी, निवासी ग्राम सांवलता खुर्द, तहसील रोहिट, जिला पाली।
2. ग्राम पंचायत भटिण्डा जरिये सरपंच, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 19 मिसल संख्या 449 / 2016—17 बुक नम्बर 96 जो ग्राम पंचायत भटिण्डा द्वारा दिनांक 13.04.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थिति

1. अधिवक्ता श्री शंकरसिंह जाखड़ (निगरानीकर्ता)।
2. अप्रार्थी संख्या 01 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

आदेश दिनांक :—17.02.2023

प्रार्थीगण द्वारा यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 पट्टा विलेख संख्या 19 मिसल संख्या 449 / 2016—17 बुक नम्बर 96 जो ग्राम पंचायत भटिण्डा द्वारा दिनांक 13.04.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया, के विरुद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत भटिण्डा से मूल अभिलेख भी तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। ग्राम पंचायत भटिण्डा से मूल अभिलेख प्राप्त होने पर निगरानीकर्ता अधिवक्ता की गुणावगुण पर बहस दिनांक 29.01.2023 को सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि निगरानीकर्ता की पट्टा सुदा हकतर्कनामा सुदा, कब्जा सुदा एक जायदाद जो ग्राम भटिण्डा तहसील व जिला जोधपुर में स्थित ह, जिसमें चार व्यवसायिक दुकाने निर्मित है तथा शेष भूमि पर मकान व चार दीवारी निर्मित है। निगरानीकर्ता की जायदाद का ग्राम पंचायत भटिण्डा द्वारा राजुपुरी के नाम से पट्टा संख्या 01 रजिस्टर संख्या 04 दिनांक 15.06.1961 को जारी किया हुआ है तथा राजुपुरी के स्वर्गवास के पश्चात राजुपुरी के सभी वारिसानों ने निगरानीकर्ता के हक में उक्त जायदाद को हकतर्क कर दिया जो हकतर्कनामा दिनांक 03.08.2016 को उप पंजीयक तृतीय जोधपुर के कार्यालय में निगरानीकर्ता के हक में पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकार निगरानीकर्ता उपरोक्त जायदाद का एकमात्र मालिक है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 सेठभारती द्वारा निगरानीकर्ता से पिछले 1 वर्ष 6 माह से चारों दुकानें किराये पर ले रखी है, जिसमें गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 हार्डवेयर व इलेक्ट्रीकल का व्यवसाय करता है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 द्वारा उक्त चारों दुकानों का अपने नाम से फर्जी पट्टा बनाकर ए यू स्मॉल फाईनेन्स बैंक से ऋण ले लिया। जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता को जब हुई तब बैंक कर्मचारी मौके पर आए। गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 उक्त फर्जी पट्टे की आड में उपरोक्त दुकानों पर कब्जा करने पर आमादा है, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी पेश की है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 को ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए उक्त विवादित पट्टा जारी किया गया। गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 ने कूटरचित व फर्जी तरीके से अपनी दुकाने नहीं होते हुए भी अपनी दुकाने बताकर पट्टा प्राप्त किया जो निरस्त योग्य है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के अन्त में बतलाया कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 की धारा 148 के तहत एक माह का आपत्तियों का नोटिस जारी करना होता है तथा नोटिस की एक प्रति सार्वजनिक स्थान पर चस्पा की जानी चाहिए लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नहीं करके नियमों की अवहेलना की गई। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी विधि विरूद्ध पट्टा को खारिज फरमावे।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा ग्राम पंचायत भटिण्डा से प्राप्त मूल अभिलेख व पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत से प्राप्त पट्टा बुक संख्या 96 पट्टा संख्या 19 के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उक्त पट्टा गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 सेठ भारती को जारी नहीं किया गया बल्कि उक्त पट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:23 IST
Reason: SelfAttested

भेराराम पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी ग्राम भटिण्डा को जारी किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा कथन किया गया कि निगरानीधीन पट्टा मिसल संख्या 449/2016–17 के अनुसरण में जारी किया गया जबकि ग्राम पंचायत भटिण्डा द्वारा पट्टा संख्या 19 मिसल संख्या 300/2016–17 के अनुसरण में भेराराम को जारी किया गया है। अतः मूल अभिलेख से स्पष्ट है कि गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 को निगरानीधीन पट्टा जारी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत भटिण्डा पंचायत समिति लूणी जिला जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक जीपी/2022/43 दिनांक 06.06.2022 के माध्यम से बतलाया कि पट्टा संख्या 19 बुक संख्या 96 जो ग्राम पंचायत द्वारा भेराराम पुत्र पोकरराम, जाति जाट के नाम से जारी किया गया है तथा इसकी मिसल संख्या 300/2016–17 है। मिसल संख्या 449/2016–17 ग्राम पंचायत कार्यालय से किसी भी प्रकार से जारी नहीं की गई है और न ही बनाई गई है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 सेठ भारती पुत्र लादू भारती, जाति स्वामी, निवासी ग्राम सांवलता खुर्द को बुक नं0 96 में पट्टा संख्या 19, मिसल संख्या 449/2016–17 ग्राम पंचायत भटिण्डा द्वारा दिनांक 13.04.2017 को जारी नहीं किया गया, परिणामस्वरूपः पंचायत निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन पट्टा निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख पुनः प्रेषित हो।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:23 IST
Reason: SelfAttested